निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 89 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के माह 06/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा , श्री राजेश कुमार सन्हा सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 19/02/2018 से 28/02/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार पाण्डेय व मनोज खंडुडी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 17/06/2016 से 28/06/2016 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 05/2015 से 05/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर, के अंतर्गत वधान सभा रुद्रपुर वधान सभा गदरपुर एवं वधान सभा कच्छा के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य ।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष		प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना	
	मु. शीर्ष	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
15-16	3054 5054 जिला योजना					299.92 1524.99 615.60	299.92 1524.73 615.73
16-17	3054 3054 5054 8443					387.54 95.57 1462.56 283.56	385.54 96.81 1393.98 282.91
17-18 (1/2018)	5054 3054 8443 8443					1508.66 386.53 541.24	1257.72 320.99 317.39

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2015-16 2016-17 2017-18 (1/2018)	शून्य				

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत

प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो॰ नि॰ व॰, उत्तराखण्ड
मुख्य अ भयन्ता, लो॰ नि॰ व॰, हल्द्वानी
अधीक्षण अ भयन्ता, स वल व्रत, लो॰ नि॰ व॰, रुद्रपुर
अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खंड , लो.नि. व., रुद्रपुर

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा मे अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 ओर 01/2018 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। एवं जनपद रुद्रपुर मे डी डी चौक से कच्छा बाइपास सड़क एवं खेड़ा पुल (कल्याणी एवं बेगुल पुल पर स्थित) का चौडीकरण का द् वतीय चरण का कार्य ।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक से का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखे की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः रु -9073451.00/-

   भाग द् वतीयः 22417.00/-

6. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 2621945.13/-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 41303985.34/-

   (ङ) भण्डार --

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 मार्ग के 328.25 मीटर मे मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना :- रु 40.36 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1001 / **III(2)/14-05 (**प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 22 फ़रवरी 2014 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में डीडी चौक से कच्छा बाइपास एवं खेड़ा पुल (कल्याणी नदी एवं बैगुल नदी पर स्थित पुलो) के चौडीकरण (लंबाई- 2.70 कमी) एवं 02 सेतु के निर्माण कार्य हेतु `**15.31**करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के लए उतनी ही रा श (`**15.31**करोड़**)** की प्र व धकी स्वीकृति 24 फ़रवरी 2014 में मुख्य अ भयंता **(**स्तर-**II),** लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग के 2.70 कमी लंबाई में वर्तमान चौड़ाई 7.00 मीटर से बढ़ाकर चार लेन करने हेतु प्रावधान थे। इसके लए मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त **ROW** में 150**mm** मोटाई में **capping** लेयर तथा 460**mm** मोटाई में **GSB** के कार्य कए जाने के साथ मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त **Carriageway** में 250**mm** मोटाई में **WMM** का कार्य कया जाना था। तत्पश्चात मार्ग पर डीबीएम एवं बीसी का कार्य कया जाना था। ।

कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अ भयंता, चतुर्थ वृत, नैनीताल के द्वारा आमंत्रित नि वदा में प्राप्त न्यूनतम नि वदादाता के साथ नि वदा परामर्शी स मति के अनुमोदन के पश्चात नि वदा मेसर्स वूडहिल कन्स्ट्रकशन प्राइवेट ल मटेड को 26 फ़रवरी 2014 को `**10.92** करोड़ में पुनरी क्षत **Schedule-B** के आधार पर प्रदान की गयी थी जो क प्राक्क लत लागत से 10.91 प्रतिशत कम थी। इस कार्य के लए अधीक्षण अ भयन्ता स्तर से गठित अनुबन्ध संख्या 58**/SE-04/2013-14** दिनांक 05 मार्च 2014 के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की ति थ क्रमश 05 मार्च 2014 और 04 मार्च 2015 थी। वर्तमान में माप-पुस्तिका संख्या 593**/L** के पृष्ठ 173 में दर्ज़ 11वां एवं अन्तिम देयक के अनुसार कार्य निर्धारित अव ध से दो वर्ष के देरी के बाद मार्च 2017 में पूर्ण कया जा चुका है और 10वां देयक तक 12.12 करोड़ का भुगतान कया जा चुका है जब क 11वां एवं अन्तिम देयक, जो क भुगतान हेतु लंबित है, के अनुसार 0.56 करोड़ का भुगतान कया जाना शेष है।

उपरोक्त प्रावधानों और कार्य के **execution** को प्रद र्शत करने वाले अ भलेखो यथा माप-पुस्तिका एवं अन्तिम देयक की वस्तृत जांच एवं वश्लेषण की गयी थी और निम्न ल खत तथ्य परिल क्षत हुए थे।

1. कार्य निर्धारित अव ध के दो वर्ष बाद पूर्ण हुए थे।
2. कार्य की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति (22 फ़रवरी 2014) के **06** माह पूर्व नि वदा आमंत्रित कर ली गयी थी।
3. मार्ग के **sub-grade** की **CBR value-2** प्रतिशत होने के कारण, चौड़ीकृत कए जाने वाले मार्ग के **sub-grade** के ऊपर 150 **mm** की मोटाई में **capping layer (Inverted chowk)** चौड़ीकृत कए जाने वाले भाग में बिछाई जानी थी जिसकी **CBR value-10** प्रतिशत होनी चाहिए थी परंतु संबन्धित अ भलेख न होने के कारण **capping** लेयर के **material** की **CBR value** की पुष्टि नहीं की जा सकी थी।
4. माप-पुस्तिका के वश्लेषण के अनुसार **capping layer** की लम्बाई एवं औसत चौड़ाई क्रमश: 4999.60 मीटर (दोनों **ROW** को मलाकर) एवं 6.72 मीटर थी जब क **WMM** की लम्बाई एवं औसत चौड़ाई क्रमश: 5324.950 मीटर (दोनों **ROW** को मलाकर) एवं 4.498 मीटर थी जिसका ववरण नीचे है। इस प्रकार, 328.25 मीटर में जीएसबी, डबल्यूएमएम,डीबीएम एवं बीसी का कार्य बगैर **capping layer (Inverted chowk)** बिछाये ही संपादित की गयी थी जिसके कारण जीएसबी, डबल्यूएमएम, डीबीएम एवं बीसी के कार्य पर `**40.36** लाख की रा श व्यय करने के बावजूद भी 328.25 मीटर में कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया था।

Items	length	Breadth	thickness in mtr	Qty	Rate	Amount
GSB	328.25	7.05	0.46	1064.515	1140	1213546.81
WMM	328.25	4.6	0.25	377.4875	1550.7	585369.86
Cost of DBM	328.25	4.6	0.17	256.6915	8394	2154668.45
Cost of BC	328.25	4.6	0.04	60.398	9560.66	577444.74
Gross amount						4531029.86
Effective rate after allowing rebate of 10.91 percent						89.09%
Net amount						**4036694.516**

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खंड के द्वारा केवल 328.25 मीटर बगैर **capping layer (Inverted chowk)** बिछाये जीएसबी, डबल्यूएमएम, डीबीएम एवं बीसी का कार्य संपादित कए जाने पर दिये गए उत्तर अवगत कराया गया क मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु डीडी चौक एवं अन्य कई स्थानो पर व भन्न मोटर मार्ग के जंक्शन होने के कारण उन स्थानो पर आवश्यकतानुसार डबल्यूएमएम का कार्य ही कराया गया था।

खंड का बगैर **capping layer (Inverted chowk)** बिछाये जीएसबी**,** डबल्यूएमएम**,** डीबीएम एवं बीसी का कार्य संपादित कराये जाने पर दिया गया उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यों क खंड द्वारा संपादित जीएसबी एवं डबल्यूएमएम की मात्रा प्रक लत मात्रा के समतुल्य थी जब क **Inverted chowk** की मात्रा प्राक्क लत मात्रा (17755.13 घनमीटर) से 407.76 घन मीटर कम था। पुन खंड द्वारा कार्य में हुए देरी, कार्य पूर्ण होने में वलम्ब तथा नि वदा का प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित कए जाने के पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इसके साथ ही **capping layer** के **CBR value-10** प्रतिशत यह बतलाया जाना क यह approved material का है, उत्तर की insufficiency को दर्शाता है।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2- निक्षेप मद की धनरा श रु 1.16 करोड़ को समायोजित न कया जाना

वत्त हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622 (III) के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से ज्यादा अव ध के अदावीत (unclaimed) धनरा श को व्यपगत निक्षेप के रूप मे शासकीय राजस्व खाते मे डाल दी जानी चाहिये।

वत्तीय हस्त पुस्तिका vol-6 के प्रस्तर संख्या 519 (ब) अनुसार कार्य समाप्त होने पर अथवा कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति मे ग्राहक वभाग से प्राप्त धनरा श को यथाशीघ्र वापस कर देना चाहिए।

1. अ धशासी अ भयंता प्रांतीय खंड रुद्रपुर के अ भलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया क माह 03/2001 से 05/2014 तक रु 7373597.5 की धनरा श निक्षेप पंजिका के भाग-दो मे ठेकेदारो की security deposit के रूप मे पड़ी थी, जो ठेकेदारो को वा पस कर दी जानी चाहिए थी, कन्तु खंड द्वारा न तो उक्त धनरा श संबन्धित को वा पस की गयी न ही व्यपगत निक्षेप मे उक्त धनरा श को डाला गया। जब क पूर्व मे ठेकेदारो को धनरा श वापस न कए जाने पर ठेकेदार द्वारा ओर्बीट्रेशन मे वाद दायर (01/2012) कर धनरा श प्राप्त की गयी थी, तो भी खंड द्वारा इन धनरा श को ठेकेदारो को वापस करने की कोई कार्यवाही की गयी थी।
2. इसी प्रकार निक्षेप पंजिका मे माह 01/2000 से 06/2015 तक व भन्न वभागो की धनरा श रु 11552687 (ववरण संगलन) रुपए खंड के पास पड़ी है। लेखा परीक्षा द्वारा उक्त व र्णत बिन्दुओ को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क ई-पेमेंट प्र क्रया आरम्भ होने से पूर्व गठित अनुबंधों के सापेक्ष कटौती की धरोहर रा श के भुगतान के संबंध में शासन स्तर से दिशा निर्देश मागें जा रहे है एवं बिन्दु संख्या 2 की मद 16/17 के संदर्भ में भू म की अनुउपलब्धता एवं 30/31 मद हेतु वर्तमान में कोई प्रतिकर का भुगतान शेष नहीं है से अवगत कराया है खण्ड का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यों क धरोहर की धनरा श की वापसी की जिम्मेदारी खण्ड की है साथ ही बिन्दु 02 के क्रम में भू म ही उपलब्ध न होने एवं प्रतिकर अवशेष न होने की स्थिति में खण्ड द्वारा अवशेष धनरा श वापस कर दी जानी चाहिए थी, जो क खण्ड द्वारा नहीं की गई थी। पूर्व लेखा परीक्षा में भी उक्त आप त्त को उठाया गया था। इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा अपे क्षत कार्यवाही नहीं की गई थी जिस कारण खण्ड में अनावश्यक रूप से दायित्व सृजित कए गए थे। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
95/1990-91	10	-
79/1991-92	1	-
47/1992-93	-	4
49/1994-95	-	2
205/1995-96	1	2
105/1999-00	2	1
132/2000-01	2	1,2,3,4,5
37/2001-02	1,2,3	5
32/2002-03	1	3,4
17/2003-04	-	4
70/2004-05	-	1(ब)
53/2006-07	-	1(ब)
52/2007-08	-	1
25/2010-11	-	1,2,3
41/2013-14	-	1,2,3
12/2015-16	-	1,2,3
22/2016-17	1	1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने बताया क पुनः प्रस्तरों को अद्यतन कर सक्षम अ धकारी की संतुति के उपरांत कार्यालय महालेखाकर को प्रे षत कया जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री बी सी पंत	
(ii)	श्री के सी पंत	
(iii)	श्री यू सी बहुगुणा	
(iv)	श्री मो. युसुफ	
(v)	श्री जे सी पंतोला	

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री र व शंकर मीना

(ii) श्री धर्मेंद्र कुमार

(iii) श्री ओम प्रकाश संह

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
आ र्थक खण्ड-II